

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), पाली

क्रमांक/सहायता/पेयजल/2023/ 1394

दिनांक : 18/04/2023

श्रीमान वित्तीय सलाहकार,
आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
जयपुर।

विषय :- पेयजल परिवहन सम्वत् 2078 की बजट मांग पुनः प्रस्तुत करने बाबत।

प्रसंग :- इस कार्यालय द्वारा ऑनलाईन बजट 01019 दिनांक 23.09.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय की प्रासंगिक ऑनलाईन डिमाण्ड द्वारा बजट मांग के क्रम में खरीफ सम्वत् 2078 में आपातकालीन पेयजल परिवहन के विपत्रों के भुगतान हेतु बजट राशि 9,42,92,000/- रुपये का बजट आवंटन किया गया था। उक्त बजट में से राशि 8,59,40,338/- रुपये का भुगतान संबंधित संवेदकों को किया जा चुका है तथा शेष राशि 83,51,662/- रुपये के भुगतान हेतु कार्यालय द्वारा समय पर विपत्रों को ऑनलाईन प्रोसेस कर दिया गया था तथापि ईसीएस नही होने के से संबंधित संवेदकों को भुगतान नहीं हो सका है।

अतः निवेदन है कि बजट मद 2245-01-102-11-04-44 में राशि 8351662/- रुपये अक्षरे तिरासी लाख इक्यावन हजार छः सौ बासठ रुपये मात्र के बजट शीघ्र उपलब्ध कराने का श्रम करावें ताकि संबंधित संवेदकों को शीघ्र भुगतान किया जा सके। विषयान्तर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बैठक दिनांक 06.10.2022 द्वारा अनुमोदन अवलोककार्य संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर (सहायता), पाली

क्रमांक : सहायता/जिआप्रपा/ 2022/9754

दिनांक : 09.2022
06-10-2022

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बैठक कार्यवाही विवरण

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.09.2022 को प्रातः 11:00 बजे श्रीमान नमित मेहता, जिला कलेक्टर महोदय, पाली की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर दर्ज है।

सर्वप्रथम जिला कलेक्टर महोदय ने बैठक में उपस्थित अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त पाली से अभाव संवत् 2078 की अभाव अवधि के दौरान पेयजल परिवहन एवं अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त पाली से मानसून वर्ष 2022 के तहत क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के संबंध में जानकारी चाही गई।

1. मानसून के वर्तमान दौर में अत्यधिक वर्षा/ बाढ़ से क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना जैसे ' सड़क, पुल, बांध, नहर, मकान, फसल, एवं जन हानि पर एस.डी.आर.एफ. के तहत प्राप्त/प्रेषित प्रस्तावों का अनुमोदन वर्ष - 2022 :

इस बिन्दू पर अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त पाली द्वारा जिले में एस.डी.आर. एफ. के नॉर्स के अनुसार वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए प्रेषित किये गये प्रस्तावों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :

क्र.सं.	कार्यकारी एजेन्सी/उपखण्ड अधिकारी का पत्रांक	तहसील	दिनांक	वर्षा MM	कार्यों की संख्या	राशि लाखों में
1	अधि.अभि. सा.नि.वि. खण्ड पाली पत्रांक 2272/02.09.2022	रानी	04.08.2022 05.08.2022	96mm 04mm	43	159.49
2.	अधि.अभि. सा.नि.वि. खण्ड पाली पत्रांक 2295/06.09.2022	मारवाड़ जंक्शन	26.07.2022 27.07.2022	87mm 29mm	88	218.22
3	अधि.अभि. सा.नि.वि. खण्ड सोजत पत्रांक 1473/06.09.2022	सोजत	26.07.2022 27.07.2022	105mm 13mm	51	182.32
4	अधि.अभि. सा.नि.वि. खण्ड सोजत पत्रांक 1476/06.09.2022	जैतारण	24.07.2022 25.07.2022	112mm 26mm	75	143.28
5	अधि.अभि. सा.नि.वि. खण्ड बाली पत्रांक 1316/02.09.2022	देसूरी	23.08.2022	92mm	36	92.63
6	अधि.अभि. सा.नि.वि. खण्ड बाली पत्रांक 1316/02.09.2022	सुमेरपुर	17.08.2022	101mm	56	126.69
कुल योग					349	922.63

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्राप्त प्रस्तावों को S.D.R.F के निर्धारित मापदण्ड अनुसार तत्काल मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने एवं आवश्यक बजट राशि आवंटित करवाये जाने हेतु आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को भिजवाये गये प्रस्तावों का अनुमोदन उपस्थित सदस्यों द्वारा किया गया।

2. मानसून के वर्तमान दौर में अत्यधिक वर्षा/ बाढ़ से क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना जैसे सड़क, पुल, बांध, नहर, मकान, फसल एवं जनहानि पर एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स के तहत रोड रिपेयर के व्यय राशि का अनुमोदन – वर्ष 2021 :

जिले में वर्ष 2021 में एस.डी.आर.एफ. के नॉर्म्स के अनुसार वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 110/2021-22 क्रमांक एफ.8(20) आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/ 2021/15661-68 दिनांक 08.12.2021 तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 119/2021-22 क्रमांक एफ.8(20) आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/ 2021/ 404-11 दिनांक 10.01.2022 के क्रम में ब्लॉक पाली, रानी, मारवाड़ जंक्शन, जैतारण, रायपुर एवं देसूरी की वर्षा 2021 से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की एवज में किये गये भुगतान का अनुमोदन उपस्थित सदस्यों के द्वारा किया गया।

3. एस.डी.आर.एफ. के तहत Summer-2022 में जिले में (322 गांवों, 161 ढाणियों व 02 शहरी क्षेत्र में) किये गये पेयजल परिवहन कार्य व व्यय का अनुमोदन :

अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त पाली ने उपखण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार अवगत कराया कि अभाव संवत् 2078 के दौरान पाली जिले में समस्त 10 तहसील क्षेत्रों में 621 ग्रामों तथा 543 ढाणियों/ शहरी क्षेत्र में निजी टैंकों से पेयजल परिवहन कराये कार्य के लिए व्यय के लिए निम्नानुसार विवरण पत्र प्रस्तुत किया गया

Status of Approval of Transportation of Water under SDRF during Summer -2022

S.No.	District (Famine affected)	No. of Village for TOW under SDRF	No. of Dhanies for TOW under SDRF	No. of Town for TOW under SDRF	Amount of Works carried out under SDRF during Summer -2022 (Upto Aug 2022) (Rs in lacs)			Amount of duly verified bills for of TOW submitted to District Collector/DDMA for payment under SDRF during Summer -2022 (Upto Aug 2022) (Rs in lacs)		
					Rural Sector	Urban Sector	Total	Rural Sector	Urban Sector	Total
1	2				3	4	5	6	7	8
1-	Pali	322	161	2	1031.85	830.82	1862.67	161.39	781.53	942.92

उक्त संबंध में जिले में पेयजल परिवहन के लिए किये गये व्यय राशि 942.92 लाख के भुगतान का अनुमोदन उपस्थित सदस्यों के द्वारा किया गया। जिसकी मांग आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर से की जावे। साथ ही इनके पश्चात् शेष राशि के प्राप्त होने वाले पेयजल परिवहन के विपत्रों के परीक्षण पश्चात् भुगतान स्वीकृत करने का अनुमोदन उपस्थित सदस्यों द्वारा किया गया।

4. संवत् 2078 के तहत स्वीकृत किये गये चारा डिपा एवं पशु शिविरों के कार्य/ व्यय का अनुमोदन :

संवत् 2078 के तहत जिले के अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों (तहसील पाली, रोहट, रानी, देसूरी, बाली एवं सुमेरपुर क्षेत्र) में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जिले में स्वीकृत किये गये 70 चारा डिपो को एवं उनमें से संचालित 67 चारा डिपो एवं स्वीकृत 07 पशु शिविरों में से संचालित 06 पशु शिविरों के कार्य एवं व्यय का अनुमोदन उपस्थित सदस्यों द्वारा किया गया।

उपस्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को मानसून वर्षा के पश्चात् मौसमी बीमारियों के संबंध में एहतियाती कार्यवाही करते हुए जीवन रक्षक दवाईयों की उपलब्धता स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुनिश्चित करवाई जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

साथ ही उपरोक्त के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा के तहत एस.डी.आर.एफ. के नॉर्म्स के अनुसार आर्थिक सहायता के प्रकरणों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत निर्धारित समय सीमा में पात्र पीड़ितों का आवेदन करवाने तथा मुख्यमंत्री सहायता कोष के तहत आर्थिक सहायता के आवेदन शीघ्रता के साथ तैयार कर इस कार्यालय को भिजवाने हेतु संबंधित तहसीलदारगण को निर्देशित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

बैठक कार्यवाही विवरण का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

क्रमांक : सहायता/जिआप्रप्रा/ 2022/9755-9810

दिनांक : 09.2022
06-10-2022

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1.
2. शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
3. जिला पुलिस अधीक्षक पाली
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली।
5. उप वन संरक्षक, वन विभाग, पाली।
6. जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली।
7. अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग/जन स्वा. अभि. वि./जो.वि.वि.नि.लि./सा.नि.वि.
8. संयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग, पाली।
9. उपखण्ड अधिकारी, पाली/रोहट/बाली/सुमेरपुर/देसूरी/रानी/सोजत/मां.ज./रायपुर/जैतारण।
10.(जिला स्तरीय अधिकारी)
11. आयुक्त, नगर परिषद, पाली।
12. विकास अधिकारी, पं.सं. पाली/रोहट/बाली/सुमेरपुर/देसूरी/रानी/सोजत/मां.ज./रायपुर/जैतारण।
13. तहसीलदार, पाली/रोहट/बाली/सुमेरपुर/देसूरी/रानी/सोजत/मां.ज./रायपुर/जैतारण।
14. अधिशाषी अधिकारी, न.पा.सादडी/सोजत/रानी/तख्तगढ़/सुमेरपुर/बाली/फालना/जैतारण।
15. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी पाली।
16. अति. निजी सचिव, जिला कलक्टर महोदय, पाली
17. निजी सहायक, अति. जिला कलक्टर, पाली
18.

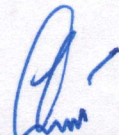
अति. जिला कलक्टर, पाली

कार्यालय जिला कलेक्टर (सहायता), पाली

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बैठक कार्यवाही में उपस्थित सदस्यों का विवरण

दिनांक 17.09.2022 को बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" एवं अधिकारीगण का विवरण निम्नानुसार है :

1. श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, अति. जिला कलेक्टर, पाली
2. श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली
3. श्री एन.आर. रोट, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, पाली
4. श्री राहुल बांकावत, अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, पाली
5. श्री मदनसिंह जैतावत, अधिशाषी अभियंता, जवाई नहर खण्ड, जल संसाधन विभाग, पाली
6. श्री दिलीप परिहार, अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. पाली
7. डॉ. इन्द्रसिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
8. श्री मनीष माथुर, अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त पाली
9. डॉ. विनोद कुमार कालरा, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, पाली
10. डॉ. भास्कर विश्नोई, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
11. श्री ललित गोयल उपखण्ड अधिकारी, पाली
12. श्री शक्तिसिंह, उपखण्ड अधिकारी रोहट
13. श्री गोपाल जांगिड़, उपखण्ड अधिकारी, सोजत
14. श्री हरीसिंह देवल, उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर
15. श्री राजेश मेवाड़ा, उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
16. श्री राजलक्ष्मी गेहलोत, उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
17. श्री सुरेश कुमार, उपखण्ड अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन
18. श्री सुरेन्द्र कुमार, तहसीलदार, पाली
19. श्री जितेन्द्र राठौड़, तहसीलदार, रानी
20. श्री दीपक सांखला, तहसीलदार, सोजत
21. श्री शिवजीराम बावरी, तहसीलदार, जैतारण
22. श्री सर्वेश्वर निम्बार्क, तहसीलदार, रायपुर
23. श्री प्रवीण कुमार, तहसीलदार, रोहट


अति. जिला कलेक्टर, पाली